

**बिहार सरकार**  
**गृह विभाग**  
(आरक्षी शाखा)

**अधिसूचना**

पटना, दिनांक फरवरी, 2017

पत्र संख्या-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0

/श्री निशान्त कुमार तिवारी, भा0पु0से0

(2005), पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को अपनी माँ एवं पिता का ईलाज दिल्ली में करान एवं स्वयं के आवश्यक निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 26.02.2017 से 07.03.2017 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री तिवारी के अवकाश अवधि में श्रीमती मीनू कुमारी, भा0पु0से0 (2010), समादेष्टा, बि0सै0पु0-07, कटिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ के प्रभार में रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0

1510

/पटना, दिनांक

20 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री निशान्त कुमार तिवारी, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ/श्रीमती मीनू कुमारी, भा0पु0से0 (2010), समादेष्टा, बि0सै0पु0-07, कटिहार /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।